आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–12 / 2024

27.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री देवधारी साव, राशन कार्ड सं0–202005303591, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग अनुपस्थित।

पिछले सुनवाई में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को भेजे गये पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई थी। शिकायतकर्ता ने प्रारंभ में यह कहा कि उन्हें आयोग द्वारा किसी तरह की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाद में जब आयोग ने अपने कार्यालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया, तो प्रमाणित हुआ कि शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये पत्र की प्रति भेजी जा चुकी है। सुनवाई के दौरान ही शिकायतकर्ता ने माना कि हाँ उन्हें पत्र मिला है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें इस आशय का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि उनकी बेटी का नाम राशन कार्ड से क्यों कटा ?

आयोग ने शिकायतकर्ता को स्पष्ट तौर पर यह बताया कि राशन कार्ड बनवाना या कार्ड में नाम जुड़वाना यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शिकायतकर्ता को खाद्यान्न का संकट होने पर उसके समाधान की संवैधानिक जिम्मेवारी आयोग की है। कार्ड में नाम जुड़वाना या नया राशन कार्ड बनवाना प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका निस्तारण विभाग के स्तर से होता है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि समक्ष प्राधिकार के सामने अपनी शिकायत रखें।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।